तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सविता मीना बनाम भौरी देवी व अन्य अपील जीसीएमएस नम्बर 2022/722	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.08.2024	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत नोट प्रेस करने प्रस्तुत करने पर बहस सुनी गई। वकील अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र नोट प्रेस करने के तथ्य को दोहराते हुए कथन किया कि उपरोक्त उनवानी अपील में प्रश्नगत नामा0 संख्या 556 दिनांक 05.07.2014 को उपखण्ड अधिकारी सांगानेर द्वारा दिनांक 08.04.2024 को अपास्त कर दिया है। ऐसे में अपील में अग्रिम कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं। इसलिये उपरोक्त अपील नोट प्रेस किया जाना आवश्यक है। अतः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि आवेदन स्वीकार फरमाया जाकर उपरोक्त अपील को नोट प्रेस किये जाने के आदेश पारित फरमाये जावे। हमने अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया जिससे जाहिर होता है प्रार्थीगण स्वंय ही अपनी अपील आगे नहीं चलाना चाहते हैं। अपीलांट ने नोट प्रेस बाबत् हस्ताक्षर किये एवं वकील अपीलांट द्वारा हस्ताक्षर सत्यापन किया गया। ऐसी स्थिति में अब इस अपील को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः अपीलार्थीगण का प्रा. पत्र नोट प्रेस स्वीकार किया जाता है तथा अपीलार्थीगण स्वंय अपील नोट प्रेस किये जाने के कारण अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर पूर्ति लेख भण्डार हो। (डॉ. आरूषि मलिक) संभागीय आयुक्त जयपुर	